न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत कैम्प–अटल सेवा केन्द्र सिन्दरू
पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 31/2017
दायरा तिथि 05.05.2017
आदेश तिथि 16.05.2017

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
छोगाराम पुत्र हुक्मारामजी जाति मारूकुम्हार निवासी सिन्दरू तहसील सुमेरपुर		1–वालाराम पुत्र डायाजी जाति मारूकुम्हार निवासी सिन्दरू तहसील सुमेरपुर व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9, नियम–13 सी.पी.सी.

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 16.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली एवं संबंधित निर्णित पत्रावली राजस्व वाद सं. 50/2016 वालाराम बनामः मांगीलाल व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट, 1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 01.12.2016 बरोज आज राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान कैम्प– अटल सेवा केन्द्र सिन्दरू में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव द्वारा प्रश्नगत् मामले में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत प्रश्नगत् प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सिन्दरू तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 906 लगाय 912 तक कुल रकबा 14.90 हेक्टर के बारे में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के यहां राजस्व वाद सं. 50/2016 वालाराम बनामः मांगीलाल व अन्य वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 में विचारार्थ रहा, जिसमें प्रार्थी बतौर प्रतिवादी सं.05 पक्षकार रहा, परन्तु तामील–कुनिन्दा द्वारा प्रार्थी को उक्त वाद के बारे में समुचित जानकारी दिये बगैर ही यह कहकर सम्मन तामिल कराया कि तुम्हारी पेंशन हेतु उपखण्ड कार्यालय में कोई कार्यवाही चल रही है। दिनांक 21.04.2017 को पटवारी हल्का सिन्दरू से प्रार्थी को प्राप्त जानकारी अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि बाबत् उपखण्ड न्यायालय द्वारा बंटवाडे का आदेश होने पर राजस्व रेकर्ड में बंटवाडे का इन्द्राज किया जा चुका है एवं खसरा नं. 906/3 रकबा 1.71 हेक्टर व खसरा नं. 907/2 रकबा 0.09 हेक्टर कुल रकबा 1.80 हेक्टर प्रार्थी अर्थात प्रतिवादी सं.05 के हक में खातेदारी दर्ज हुई है, साथ ही उपखण्ड न्यायालय से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कृषि भूमि के बारे में मूल वाद पत्रावली का गत् दिनांक 01.12.2016 को अंतिम बंटवाडे बाबत् फैसला हो चुका है, जबकि प्रार्थी अर्थात प्रतिवादी सं.05 को न तो इसकी जानकारी थी ना ही बंटवाडे की सहमति दी है। प्रार्थी अर्थात प्रतिवादी सं.05 को सम्मन गलत रूप से तामील करवाया है, के कारण प्रार्थी न्याय से सहरूम हो गया है, इसलिए कतिपय प्रावधान के तहत प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर दिनांक 01.12.2016 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रार्थी को न्याय प्रदान करावे।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

(प) के कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा अभिकथन किए गये कथनों, भू. अभिलेख निरीक्षक शामकेश्वर की तथाकथित जांच रिपोर्ट व संलग्न नक्शे मय दिनांक 01.12.2016 को निर्णित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 60/2016 के अन्तर्गत उपलब्ध तमाम सबूत दस्तावेजों के अवलोकन, परीक्षण व विचारण करने के पश्चात हमने पाया है कि प्रश्नगत् निर्णित मूल वाद पत्रावली के अन्तर्गत जारी समन प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी को सम्यक रूप से तामील हुआ है, जिसके आधारित ही प्रश्नगत व विचारण वाद पत्रावली की प्रार्थी को बखूबी जानकारी रहते प्रतिवादी सं.05 अर्थात प्रार्थी की ओर से उनके मुकर्रर अधिवक्ता श्री भरत कुमावत द्वारा वकालतनामा मय दिनांक [illegible].2016 को पत्रावली पर पेश हुआ है, तदुपरान्त ही विधिक प्रक्रिया के तहत वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का सिन्दरू द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट व नजरी नक्शा, जिस पर अन्य प्रतिवादीगण व प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भरत कुमावत द्वारा सहमति के हस्ताक्षर किए जाने के फलतः दिनांक 01.12.2016 को अंतिम बंटवारा का निर्णय व डिक्री जारी हुई है, के अवलोकन मात्र से यह सुस्पष्ट है कि प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी को तथाकथित सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की कार्यवाही बाबत् बखूबी जानकारी थी। इसके अलावा भू. अभिलेख निरीक्षक शामकेश्वर की तथाकथित जांच रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत् कृषि भूमि के दीगर खातेदार भूराराम, तीराराम, मोहनलाल पि.धीसाराम द्वारा अपनी हिस्सा भूमि क्रेता आम्बाराम पुत्र केसाजी, मवशीदेवी पत्नी आम्बाराम व कन्या पत्नी प्रतीक कौम देवासी साकिन खुडाला को पंजीबद्ध दस्तावेज द्वारा बेचान की गई है और इसी आधार पर क्रेताओं का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है, जिन्हें इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विचारण योग्य है।

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के फलतः निर्णित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं.60/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2016 अन्तर्गत प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी को समन सम्यक रूप से यानि कि विधिवत् प्रक्रिया के तहत तामील हुआ है तथा प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी की ओर से उनके मुकर्रर अधिवक्ता श्री भरत कुमावत द्वारा वकालतनामा व प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट व नजरी नक्शा पर सहमति के हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत् मूल वाद पत्रावली में दिनांक 01.12.2016 को निर्णय/डिक्री पारित हुआ है अर्थात प्रतिवादी सं.05 छोगाराम अर्थात प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय/डिक्री कतई पारित नहीं हुआ है और इस प्रकार हमारे विधिक विचारों में प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः राजस्व मौजा सिन्दरू तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाते खसरा नं. 906 लगाय 912 तक कुल रकबा 14.90 हेक्टर से संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 60/2016 वालाराम बनाम मांगीलाल व अन्य वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 01.12.2016 को अपास्त किए जाने हेतु प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सिन्दरू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner